

(रा.भ. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवागा जिला जलोहरा
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम चारणो का वार्ड की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 67 में मेरा/हमारे नाम रमजान पुत्र हाजी

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम रमजान खान पुत्र हाहिमद खान है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-

रमजान खान
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भूअ. निरीक्षक

प्रार्थी के आधार का रिकॉर्ड अनुसार रमजान पुत्र हाजी के स्थान पर रमजान खान पुत्र हाहिमद खान शुद्ध किया जाना उचित है

16/10/25
प. प्रजापत
16.10.25
142 रमजान

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

Coms No - 2025/672

तहसीलदार समदडी

आदेश

क्रमांक / अ. भे. दि. / 1698

दिनांक 17/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम चारणो का वार्ड की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 67 में रमजान पुत्र हाजी के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

रमजान खान पुत्र हाहिमद खान

करण की स्वीकृति प्रदान

की जाती है तदनुसार रेकॉर्ड में अमल दरमाद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी
सिवागा (जिला जलोहरा)